न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी:– श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :– 81/2025

प्रार्थी — **बनाम** — **अप्रार्थीगण**

प्रार्थी:

1 आबिद खान पुत्र अयुब खां जाति लुहार मुसलमान निवासीगण सोजत रोड़ तह0 सोजत जिला पाली राज0।

बनाम

अप्रार्थीगण:

1 ईमाराम पुत्र घीसाराम जाति गुर्जर निवासी सरदारपुरा तह0 सोजत जिला पाली राज0।
1/1 चम्पा देवी पत्नी ईमाराम
1/2 राजेश कुमार पुत्र ईमाराम
1/3 लक्ष्मणलाल पुत्र ईमाराम
1/4 गुड्डी देवी पुत्री ईमाराम जातिगण गुर्जर निवासीगण सरदारपुरा तह0 सोजत जिला पाली राज0।

2. स्वास्तिक कॉपरेशन सोजत रोड़ के भागीदार–
2/1 विनोद पुत्र शिवप्रकाश मोदी जाति जैन निवासी सोजत रोड़ तह0 सोजत जिला पाली राज0।
2/2 शीतल पुत्र बंकटलाल मोदी जाति जैन निवासी सोजत रोड़ तह0 सोजत जिला पाली राज0।

3 तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित:–

1. **श्री गोविन्द प्रसाद अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।**
2. **श्री एस0पी0 माथुर अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 02 उपस्थित।**

–: निर्णय :– **दिनांक :–** 03/12/2025

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा खोखरा, तहसील सोजत में स्थित प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 312/2 रकबा 0.6400 है0 की जोत में अवागमन हेतु रास्ता अप्रार्थीगण की कृषि जोत भूमि ख0नं0 311/2 रकबा 1.8100 है0, ख0नं0 311 रकबा 0.8100 है0, ख0नं0 311/1 रकबा 1.8200 है0, ख0नं0 311/3 रकबा 1.0000 है0 की जोत में से नया मार्ग अपनी खातेदारी कृषि जोत भूमि तक जाने हेतु आशय रखते है। प्रार्थी के अपनी भूमि पर अवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। अप्रार्थी सं0 01 व 2 की भूमि ही प्रार्थी की भूमि के चिपते ही है, जो ही एकमात्र रास्ते हेतु नजदीक है अर्थात् प्रार्थी द्वारा जो प्रा0पत्र के संलग्न लाल स्याही से दर्शित नक्शे में प्रस्तावित रास्ते की मांग की है एवं मौके पर विद्यमान रास्ता रहा है। प्रार्थी नियमानुसार रास्ते की डी0एल0सी0 राशि जमा करवाने हेतु तैयार हैं। अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र पेश कर प्रा0पत्र के संलग्न नजरी नक्शे परिशिष्ठ क में ए, बी, सी, डी, से दर्शाये अनुसार रास्ता घोषित किया जाकर रास्ता दिलाये जाने एवं रास्ते को राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं0 1/1 से 1/4 बावजूद सूचना/तामिली अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थीगण

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

2/1 से 2/2 ने जवाब प्रा0पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा उक्त प्रा0पत्र गलत एवं मिथ्या तथ्यों के आधार पर पेश किया है। प्रार्थी की कृषि भूमि की दक्षिण दिशा में ख0नं0 387 के खातेदार को आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद भी पक्षकार नहीं बनाया है, जिस कारण प्रार्थी का प्रा0पत्र खारिज योग्य हैं। प्रार्थी ने अपनी कृषि भूमि बंटवाड़ा से पूर्व मूल खातेदारी मूल खसरा नंबर 312 में कदीम से ख0नं0 309, 310, 303, 302, 301 के दक्षिण दिशा की तरफ से रास्ता मौजूद था, जो रास्ता तारबंदी करके रास्ता बंद कर दिया, जिस रास्ता को नहीं खुलाकर नया रास्ता की मांग करने हेतु प्रा0पत्र गलत तरिके से पेश किया, जो खारिज होने योग्य हैं। प्रार्थी ने अपनी उक्त कृषि भूमि को खरीद जरिये बेचान रजिस्ट्री के किया, जिसमें भी रास्ता ख0नं0 312 में आवागमन का मूल रास्ता प्रार्थी के उत्तर दिशा में दिखाया है, जिसे भी प्रार्थी ने प्रा0पत्र में जानबूझ कर छुपाया गया हैं। प्रार्थी की कृषि भूमि में नजदीकी रास्ता ख0नं0 387 के खातेदार को आवश्यक खातेदार नहीं बनाया हैं। इस प्रकार जवाब प्रा0पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने ख0नं0 387 के खातेदार को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया है तथा कदीमी रास्ता को छोड़कर नए रास्ता की मांग की है, इसलिए प्रार्थी का प्रा0पत्र सव्यय खारिज फरमाये जाने की ईश्तदुआ की है।

तहसीलदार सोजत से प्रार्थित रास्ते के सम्बन्ध में वांछित तीनों बिन्दु यथा उपलब्ध वैकल्पिक/निकटतम रास्ता, सुविधा जनक उपयोग हेतु आवेदन, अत्यांतिक आवश्यकता है अथवा नहीं से सम्बद्ध बरूवे मौका रूबरू उभय पक्षकारान मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा चाही गई। तहसीलदार, सोजत ने अपने पत्रांक/रीडर/2025/816 दिनांक 13.06.2025 के जरिए प्रस्तुत मौके की वस्तुस्थिति मय नजरी नक्शा सा0मि0 की गई। **तहसीलदार सोजत द्वारा सम्बन्धित पटवारी, भू0अभि0निरी0 बगड़ी, द्वारा तैयार फर्द मौका रूबरू प्रार्थी पक्षकार एवं मौतबिरान तैयार मय नजरी नक्शा रिपोर्ट में अंकित किया** कि राजस्व रेकर्ड अनुसार ख0नं0 311, 311/1, 311/3 रकबा क्रमशः 0.81, 1.82, 1.00 स्वास्तिक कॉपरेशन सोजत रोड़ के पार्टनर विनोद पुत्र शिवप्रकाश मोडी शीतल पुत्र बंकटलाल मोदी सोजत रोड़ के नाम है तथा ख0नं0 311/2 ईमाराम पुत्र घीसाराम गुर्जर निवासी सरदारपुरा के नाम है। ईमाराम की मृत्यु हो चुकी हैं। मौका निरीक्षण करने पर स्पष्ट हुआ कि ख0नं0 311, 311/1, 311/2, 311/3 रहेगा तो सीधा डामर सड़क से लगता हैं। प्रत्येक खसरे में से 30 फिट रास्ते का क्षेत्रफल इस प्रकार रहेगा कि ख0नं0 311 रकबा 0.81 है0 में से 0.0495 है0, ख0नं0 311/1 रकबा 1.82 है0 में से 0.1050 है0, ख0नं0 311/3 रकबा 1.00 है0 में से 0.0765 है0, ख0नं0 311/2 रकबा 1.81 है0 में से 0.1070 है0 रास्ता दिया जाना प्रस्तावित किया हैं, जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0 कीमत 2100000/- रूपये प्रति हैक्टर हैं। फर्द मौका मय नजरी नक्शा संलग्न उपस्थित मौतबिरान के अंगूठा/हस्ताक्षर सुदा प्रस्तुत किया, जिसमें नजदीकी रास्ता ख0न0 311, 311/3, 311/1, 311/2, 312/2 में से मौका फर्द में लाल स्याही से दर्शाया गया है। तहसीलदार, सोजत भू0अ0 निरीक्षक वृत बगड़ी, सोजत की मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा लाल स्याही से दर्शित संलग्न पत्रावली किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए सरहद मौजा खोखरा, तहसील सोजत में स्थित प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 312/2 रकबा 0.6400 है0 की जोत में अवागमन हेतु रास्ता अप्रार्थीगण की कृषि जोत भूमि ख0नं0 311/2 रकबा 1.8100 है0, ख0नं0 311 रकबा 0.8100 है0, ख0नं0 311/1 रकबा 1.8200 है0, ख0नं0 311/3 रकबा 1.0000 है0 की जोत में से 20 फीट चौड़ा नया मार्ग अपनी खातेदारी कृषि जोत भूमि तक जाने हेतु उसकी माठ के सहारे सहारे दिलवाया जाकर राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है। जवाब बहस में वकील अप्रार्थीगण सं0 2 ने निवेदन किया कि प्रार्थी ने अपनी कृषि भूमि बंटवाड़ा से पूर्व मूल खातेदारी मूल खसरा नंबर 312 में कदीम से ख0नं0 309, 310, 303, 302, 301 के दक्षिण दिशा की तरफ से रास्ता मौजूद था, जो रास्ता तारबंदी करके रास्ता बंद कर दिया, जिस रास्ता को नहीं खुलाकर नया रास्ता की मांग करने हेतु प्रा0पत्र गलत तरिके से पेश किया, जो खारिज होने योग्य हैं।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 2 को सुना तथा राजस्व रेकर्ड मय मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन किया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नहीं है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है,।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी जोत में पहूँच हेतु सुविधाजनक मार्ग हेतु आवेदन किया जाना परिलक्षित नहीं होकर तहसीलदार, सोजत भू0अ0निरी0 बगड़ी, सोजत, पटवारी हल्का की रिपोर्टानुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से ही उक्तानुसार निकटतम रास्ता पाया जाता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण न्यायालय के समक्ष Clean Hand से उपस्थित हुए है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के Mandatory Provision को पूर्ण करने तथा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्तानुसार देय प्रतिकर की दोगुणा राशि रास्ता प्रयोजनार्थ दिलवाया जाना उचित समझते है।

उप खण्ड अधिकारी सोजत जिला-पाली (राज.)

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त विवेचना/विश्लेषणानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा खोखरा तह0 सोजत जिला पाली के ख0नं0 312/2 रकबा 0.6400 है0 की भूमि में आवागमन हेतु (आने जाने के रास्ते हेतु) अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0नं0 311/2 रकबा 1.8100 है0, ख0नं0 311 रकबा 0.8100 है0, ख0नं0 311/1 रकबा 1.8200 है0, ख0नं0 311/3 रकबा 1.0000 है0 में से कृषि भूमि में से सम्बद्ध खातेदारानों के नाम के आगे

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

कित कृषि भूमि में से (2100000/– रू0 × 2 × 0.2256 है0 = 947520/– रूपये उनके नाम के सामने अंकित भूमि प्रतिकर देय राशि का भुगतान निम्नांकित रूप से उनके हिस्सेनुसार तहसीलदार, सोजत द्वारा (डी0एल0सी0 की दर से दो गुणा प्रतिकर राशि) करवाये जाने पर उपलब्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैः–

क0 सं0	ख0नं0 व किस्म	कुल रकबा (है0) में	खातेदारो/काश्तकारो के नाम मय वल्दियत कौमियत व सकूनत	रास्ते की भूमि का रकबा (चौड़ाई × लम्बाई) है0 में	प्रतिकर की राशि रूपये में
1.	311 बंजड़ 311/1 बंजड़ 311/3 बंजड़	0.8100 1.8200 1.0000	स्वास्तिक कॉपरेशन सोजत रोड़ के पार्टनर विनोद पुत्र शिवप्रकाश मोदी शीतल पुत्र बंकटलाल मोदी हिस्सा पूर्ण सा. सोजत रोड़ खातेदार	6 X 55 मी0 =0.0330 है0 6 X 117 मी. =0.0702 है0 6 X 85 मी0 =0.0510 है0	647640/–
			योग :–	0.1542 है0	647640/–
2.	311/2 बंजड़	1.8100	ईमाराम पुत्र घीसाराम हि0 पूर्ण जाति गुर्जर सा0 सरदारपुरा तह0 सोजत खातेदार	6 X 119 मी. =0.0714 है0	299880/–
			योग :–	0.0714 है0	299880/–

तदानुसार राजस्व रेकर्ड, नक्शा में अमल दरामल/तरमीम किया जावें। उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। तहसीलदार, सोजत स्तर पर उक्त आदेश की पालना अर्थात प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जावें। निर्णय की प्रति व मौका रिर्पोट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये एवं इनकी प्रति तहसीलदार, सोजत को भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उप खण्ड अधिकारी सोजत (जिला-पाली)
(मांसिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 03/12/2025 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी सोजत (जिला-पाली)
(मांसिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत